प्रेस कान्फ्रेंस/सराहनीय कार्य दिनांक 11.06.2022

जनपदीय एस0ओ0जी0/सर्विलांस एवं थाना मिश्रौलिया की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा बसों में यात्रियों से एवं घरों में चोरी की घटना करने वाले बहेलिया गैंग के छः शातिर सदस्यों को गिरफ्तार कर कब्जे से चोरी गए सोने व चांदी के आभूषण व नकदी एवं दो अदद देशी तमंचा 315 बोर दो अदद जिन्दा कारतूस एवं चाकू बरामद |

दिनांक 22-02-2022 थाना सिद्धार्थनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 37/22 धारा 380 भा0द0वि0 व दिनांक 03-04-2022 को थाना चिल्हिया पर पंजीकृत मु0अ0सं0-54/22 धारा 457,380 भा0द0वि0 व दिनांक 09-06-2022 को थाना ढेबरूआ पर पंजीकृत मु0अ0सं0-83/22 धारा 379 भा0द0वि0 के सफल अनावरण हेतु डॉ0 यशवीर सिंह, पुलिस अधीक्षक, जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया था, जिसमें गठित टीम द्वारा "अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के पर्यवेक्षण व श्री रमेश चन्द्र पाण्डेय, क्षेत्राधिकारी इटवा के कुशल निर्देशन में श्री शेषनाथ यादव, प्रभारी सर्विलांस सेल , श्री जीवन त्रिपाठी प्रभारी एस0ओ0जी0 टीम व श्री घनश्याम सिंह, थानाध्यक्ष मिश्रौलिया की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर आज दिनांक 11.06.2022 को मधवापुर पुल के पास से समय सुबह तड़के 06 नफर अन्तर्जनपदीय अभियुक्त को पकड़ लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के कब्जे से चोरी गयी सोने व चांदी के आभूषण व नगद 3500 रू तथा 06 अदद मोबाइल फोन व 02 अदद तमंचा (315 बोर) मय 02 अदद जिन्दा कारतूस (315 बोर) बरामद हुआ। पूछताछ, बरामदगी एवं गिरफ़्तारी के आधार पर जनपद के थाना सिद्धार्थनगर, चिल्हिया व ढेबरूआ में पूर्व में पंजीकृत चोरी के मुकदमों का सफल अनावरण किया गया व थाना मिश्रौलिया में मु0अ0सं0- 99/22 धारा 401,411,413 भा0द0वि0 व 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस टीम की पूछ-ताछ का विवरण-

पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछ-ताछ में अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि "हमलोग बहेलिया गैंग का संचालन करते है, हमारा गैंग लीडर अनिल बहेलिया है जिसकों हमलोग कुरू नाम से बुलाते है हमलोग अलग-अलग जनपदों में जाकर किराये का मकान लेते है और वहां से बसों अड्डों पर जाकर रेकी करते है जब कोई महिला बैंग इत्यादि लेकर बस में बैठती है तब हमलोंग भी उसी बस में बैठ जाते है और मौका देखकर उनका सामान बैग इत्यादि चुरा लेते है तथा हमलोग एक मास्टर चाबी रखते है यदि किसी बैग में छोटा ताला लगा हो तो उसको चाबी की मदद से खोलकर किमती सामान चुरा लेते है। हमलोग फेवीक्विक से अंगुली पर माइक्रो ब्लेड चिपका कर सवारियों को उतरते समय ब्लेड से उनका बैग काटकर आभूषण/पैसा इत्यादि चुरा लेते है। हम लोग घूमकर बन्द मकानों की रेकी करते है और रात के समय चोरी की घटना करते है। हमलोंग ज्यादा समय तक एक शहर में नही रहते है दो-तीन घटनाओं को करने के बाद टीम का एक सदस्य सामान लेकर हमलोंग के घर चला जाता है हमलोग किसी और शहर में जाकर घटना करते है। हमलोग अपने हिस्से में से कुछ धन अपने गैंग लीडर कुरू को देते है जिससे वह हमलोग के पकड़े जाने पर हमलोगों के घर की देखभाल करे।"

बरामदगी का विवरण -

01- नगद 3500 रूपये (चोरी की)
02- 01 जोड़ी बाली (पीली धातु की)
03- 01 नाक की कील (पीली धातु की)
04- 01 अदद झुमका (पीली धातु की)
05- 01 अदद नथिया (पीली धातु की)
06- 02 अदद टप्स (पीली धातु की)
07- 01 अदद हार (पीली धातु की)
08- 01 अदद मांगटीका (पीली धातु की)
09- 02 अदद करधनी (सफेद धातु की)
10- 03 जोड़ी पायल
11- 02 अदद देशी तमंचा मय 02 अदद जिन्दा कारतूस (315 बोर) ।
12- 02 अदद नाजायज चाकू
13- 40 पैकेट फेवीक्विक
14- 02 अदद चाबी
15- 08 अदद माइक्रो ब्लेड
16- 06 अदद आधार कार्ड अभियुक्तगण का

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1- अनिल बहेलिया पुत्र नबाब सिंह निवासी नगला उसर थाना कुरावली जनपद मैनपुरी।
2- हरिशंकर बहेलिया पुत्र सियाराम निवासी नगला उसर थाना कुरावली जनपद मैनपुरी।
3- अनिल कुमार पुत्र राजाराम निवासी नगला उसर थाना कुरावली जनपद मैनपुरी।
4- सुमित बहेलिया पुत्र राजेन्द्र निवासी महारमई थाना बिचवां जनपद मैनपुरी।
5- राजू पुत्र सुघर सिंह निवासी महारमई थाना बिचवां जनपद मैनपुरी।
6- दिपू पुत्र कप्तान सिंह निवासी ब्रह्मपुरी थाना मेरापुर जनपद फरूखाबाद।

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 37/22 धारा 380, 411 भा0द0वि0 थाना व जनपद सिद्धार्थनगर।
02. मु0अ0सं0 85/22 धारा 379, 411 भा0द0वि0 थाना ढेबरूआ जनपद सिद्धार्थनगर।
03. मु0अ0सं0 54/22 धारा 457, 380, 411, भा0द0वि0 थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर।
04. मु0अ0सं0 99/22 धारा 401, 411,413 भा0द0वि0 थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर।
05. मु0अ0सं0 100/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर।
06. मु0अ0सं0 101/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर।
07. मु0अ0सं0 102/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर।
08. मु0अ0सं0 103/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर।

गिरफ़्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण :-

01- श्री घनश्याम सिंह, थानाध्यक्ष थाना मिश्रौलिया मय टीम।
02- श्री शेषनाथ यादव, प्रभारी सर्विलास सेल, जनपद सिद्धार्थनगर।
03- श्री जीवन त्रिपाठी, प्रभारी एस0ओ0जी0 जनपद सिद्धार्थनगर।
04- उ0नि0 श्री हरिराम, थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर।

05- मु0 आ0 राजीव शुक्ला, मु0आ0 रमेश यादव, आ0 वीरेन्द्र तिवारी आ0 पवन तिवारी, आ0 मृत्युंजय कुशवाहा, एस0ओ0जी0 जनपद सिद्धार्थनगर।

06- आ0 विवेक कुमार मिश्र, आ0 देवेश यादव, सर्विलांस टीम जनपद सिद्धार्थनगर।

07- हे0का0 पंकज दूबे, हे0का0 बुद्धेश कुमार, का0 विनय कुमार, का0 नागेन्द्र कुमार, का0 अमरनाथ

उक्त सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस टीम को पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा उत्साहवर्धन हेतु नकद रु0 25,000/- प्रदान किया गया।

प्रेस नोट- थाना पथरा बाजार जनपद सिद्धार्थनगर दिनांक 11.06.2022

02 नफर वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार कर,माननीय न्यायालय भेजा गया

डॉ० श्री यशवीर सिंह पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में, श्री सुरेश चन्द्र रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन में, श्री अजय कुमार श्रीवास्तव क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज के कुशल पर्यवेक्षण में, श्री बलजीत कुमार राव प्रभारी निरीक्षक थाना पथरा बाजार जनपद सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 11.06.2022 को वाद संख्या 114/2011 व थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु०अ०स० 50/2010 धारा 302 आईपीसी से सम्बंधित 02 नफर वारंटी अभियुक्त क़ो गिरफ्तार कर, माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

01. परशुराम पुत्र चूल्हई
02. नन्दलाल पुत्र सुखराम

साकिन थुम्हवा थाना पथरा बाजार जनपद सिद्धार्थ नगर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

01. SHO बलजीत कुमार राव
02. Si श्री शम्स जावेद खान
03. Hc राकेश यादव
04. Hc रामबिलास
05. Hg मुकेश दुबे

थाना पथरा बाजार जनपद सिद्धार्थ नगर

प्रेस विज्ञप्ति दिनॉक 11-06-2022

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर द्वारा कराए गए पब्लिक अप्रूबल रेटिंग के तहत कराये गये वोटिंग में सिद्धार्थनगर पुलिस को 12652 लोगों द्वारा दिया अपना फीडबैक

अपर पुलिस महानिदेशक, गोरखपुर जोन, गोरखपुर श्री अखिल कुमार द्वारा कराये गए पब्लिक अप्रूवल रेटिंग / सर्वेक्षण के अन्तर्गत जनपद **सिद्धार्थनगर** पुलिस की कार्य प्रणाली (ट्विटर, डॉयरेक्ट पोल, यू0पी0-112, आईजीआरएस0 एवं जनपद के समस्त थानों पर पंजीकृत अभियोगों (प्रथम सूचना रिपोर्ट / एनसीआर) के सम्बन्ध में पूर्व में कराये वोटिंग में जनपद **सिद्धार्थनगर** को डायरेक्ट पोल पर 1226, ट्वीटर पोल पर 1787, यूपी 112 के पोल पर 668, वादियों द्वारा पंजीकृत कराए गए एफ0आई0आर0/एन0सी0आर0 पर 404 व आई0जी0आर0एस0 में 459 व्यक्ति कुल 4544 व्यक्तियों द्वारा अपना अपना फीड बैक दिया गया। **सिद्धार्थनगर** पुलिस के कार्यों का डायरेक्ट पोल कुल फीडबैक का 89.3 प्रतिशत लोगों द्वारा अतिउत्तम, ट्वीटर पोल पर कुल फीड बैक का 84.1 प्रतिशत, एफ0आई0आर / एन0सी0आर0 में कुल फीडबैक का 74 प्रतिशत, यूपी 112 के कुल फीड बैक का 77.7 प्रतिशत व आई0जी0आर0एस0 में कुल फीडबैक का 24.8 प्रतिशत अतिउत्तम वोटिंग प्रतिशत रहा।